न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ (राज.)

दर्शन सिह आदि बनाम हरदयालसिंह आदि

प्रकरण का प्रकार 223 आरटीएक्ट क्रमांक 2015/00215 (002/2015)

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक
26.02.2021	पत्रावली प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 20 सीपीसी सपठित आदेश 22 नियम 4 सीपीसी पर आदेश हेतु पेश हुई। वकील अपीलाण्ट/प्रार्थी का कथन है कि रेस्पा0 3 बूटासिंह पुत्र लाभसिंह का देहान्त के संबंध में रेस्पोडेण्ट द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र की बहस के उत्तर देने में अपीलाण्ट को ज्ञान हुआ है। इससे पहले उसे ज्ञान नहीं था। जानकारी होते ही बिना किसी विलम्ब के प्रार्थना–पत्र पेश कर दिया है डिले कन्डोन की जावे एवं रेस्पोडेण्ट के वारिसान को बतौर रेस्पोडेण्ट संयोजित किया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2002 (1) पेज 359 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने प्रार्थना–पत्र का जवाब पेश करते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट को रेस्पोडेण्ट सं0 3 बूटा सिंह के निधन का पूर्व से ही ज्ञान रहा है। मातहत अदालत में आदेश 9 नियम 13 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत था जिसमें उसके फौत होने की सूचना अपीलाण्ट को दी गई थी। रेस्पो0 व अपीलाण्ट एक ही गांव व एक ही रकबे की भूमि के संयुक्त खातेदार है इसलिए अपीलाण्ट को रेस्पो0 सं0 3 के फौत होने का पूर्व से ज्ञान रहा है। अपीलाण्ट ने 3 वर्ष बाद प्रार्थना–पत्र पेश किया है। विलम्ब का कोई कारण नहीं बताया है। अतः प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। बहस में आये कथन के अनुसार रेस्पोडेण्ट सं0 3 बूटा सिंह का देहान्त 09.03.2015 को देहान्त हो गया है। अपीलाण्ट का कथन है कि उसे रेस्पोडेण्ट द्वारा बताने पर इसका ज्ञान हुआ है। अपीलाण्ट का यह तथ्य स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि मातहत अदालत में आदेश 9 नियम 13 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत था जिसमें उसके फौत होने की सूचना अपीलाण्ट को दी गई थी। अपीलाण्ट ने 3 वर्ष बाद प्रार्थना–पत्र पेश	

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Karnar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 14:04:25 IST
Reason: SelfAttested